

2019/00385

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 377/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक  
नगर जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छाजूराम शर्मा
2. श्रीमती मनीषा देवी पत्नी श्री कमलेश कुमार शर्मा
3. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छाजूराम शर्मा

पता 25, ब्राह्मणों का मोहल्ला, ग्राम भगवानपुरा, पोस्ट रायपुर, तहसील जमवारामढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री अखिल मोदी अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।



आदेश

दिनांक 14.11.2019

प्रतिपत्र में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.12.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी कमलेश कुमार शर्मा के स्वामित्व का आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम भगवानपुरा ग्राम पंचायत रायपुर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पारा बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इनवाड उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में अप्रार्थीगण ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किये गये। अप्रार्थी कमलेश की ओर से श्री शमशेर पठान अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर, 2018 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए समय चाहा, किन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर समय दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायलाय को नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नव ज्योति में दिनांक 20.08.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी कमलेश कुमार शर्मा के स्वामित्व का बन्धक आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम भगवानपुरा ग्राम पंचायत रायपुर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर लिखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर